	For Armed Forces Personnel:— **B. Deputation or Re-employment:—** The Armed Forces Personnel who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience mentioned for direct recruits in column (7) shall also be considered and if selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisations or departments of the Central Government shall not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Deputy Secretary (Administration), Union Public Service Commission —Chairman 2. Under Secretary (General), Union Public Service Commission —Member 3. Under Secretary (Recruitment), Union Public Service Commission —Member	Not applicable.

[F. No. 39021/11/2012 -Estt.(B)
PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि.352.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी, श्रेणी-2 और श्रेणी-1) भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 1), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी 2) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आरम्भिक गठन.—(1) इन नियमों के प्रवर्तन होने से ठीक पूर्व नियमित आधार पर स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) पद धारण करने वाले कार्मिक, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए समझे जाएंगे।

(2) इन नियमों के प्रवर्तन से पूर्व की उपरोक्त निर्दिष्ट कार्मिक के पद पर की गई नियमित निरंतर सेवा की अवधि को परीवीक्षा, ज्येष्ठता, प्रोन्नति के लिए अहर्कता, पुष्टिकरन और पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ **(2)** से स्तंभ **(4)** में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वें होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ **(5)** से **(13)** में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी)	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400/- रु.)

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी
(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति**: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-1) जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 5 में 29200-92300/- रु. में उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
1. समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य **2. समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें :—** (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग -अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	3* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200-92300/- रु.)

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2 जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में (25500-81100/- रु.) में उस श्रेणी में छ: वर्ष सेवा की हो या स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी-2, और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) में संयुक्त सेवा पन्द्रह वर्ष की हो, तथा सरकार द्वारा निविर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग -अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग -सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II)	3* (2018)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100/- रु.)

	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	अनुसचिवीय	

(5)	(6)	(7)	(8)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति:** ऐसा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में 19900-63200/- रु. में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नौ वर्ष सेवा की हो और सरकार द्वारा निविर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होनें अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग -अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
4. स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी)	3* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19900-63200/- रु.)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच	(i) मोटरकारों के लिए कोई विधिमान्य

	(केन्दीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशो के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधास्ति करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने कि लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	चालन अनुज्ञप्ति का होना । (ii) मोटर यंत्र व्रिया का ज्ञान (अभ्यर्थी छोटी मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए ।) (iii) किसी मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । (iv) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उर्त्तीण । **वांछनीय :** गृह रक्षी या सिविल रक्षा स्वंय सेवक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी:** अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रव्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए :- आमेलन/ पुनर्नियोजन

(11)
प्रतिनियुक्ति/ आमेलन :— औद्योगिक नीति ओर संवर्धन विभाग और इसके संलग्न कार्यालयों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-1, 18000-56900/ रु. में नियमित सवार हरकारा और समूह 'ग' कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारी जो मोटर कारों को चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति, मोटर कारों को चलाने की उनकी क्षमता का किसी चालन परीक्षण के मूल्यांकन के आधार पर, रखते हों । जिसके ने हो सकने पर, केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों या विभागों में, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1, 18000-56900 रु. में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले या नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से ऐसे कर्मचारी जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हों । **प्रतिनियुक्ति / सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए पुनर्नियोजन:—** सशस्त्र बल के कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी या समतुल्य पद के ऐसे कार्मिकों के सबधं में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व मे स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । यदि ऐसे व्यक्तियों का चयन हो जाता है, तो उन्हें उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति, जिसके अन्तर्गत केन्दीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय् पद पर प्रतिनियुक्ति भी है, की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग -अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य **2. समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें :—** (1) निदेशक/उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - अध्यक्ष (2) अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग - सदस्य (3) अवर सचिव (प्रशासन), भारी उद्योग विभाग - सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/1/2015-स्था. II]

सयैद रवीश अली, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

New Delhi, the 16th October, 2018

G.S.R. 352.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Industrial Policy and Promotion Staff Car Driver (Ordinary Grade, Grade- II and Grade- I), Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, namely:—

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion, Staff Car Driver (Special Grade), Staff Car Driver (Grade I), Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial Constitution.—**(1) The personnel holding the post of Staff Car Driver (Special Grade) immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.

(2) The regular continuous service of personnel referred above before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service of promotion, confirmation and pension in the service.

3. **Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.—** The number of posts, their classification, level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale	Whether selection post or non selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Special Grade)	1* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the pay matrix ₹ 35400–112400	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Grade I) in level 5 in the pay matrix ₹29200 - 92300 with three years' regular service in the grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
1. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Director/Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry– Member. **2. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade I)	3* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 in the pay matrix ₹ 29200–92300	Non-selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Grade II) in level 4 in the pay matrix ₹ 25500- 81100 with six years' regular service in the grade or with a combined service of fifteen years' in Staff Car Driver (Grade II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— 1. Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion –Chairman 2. Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member 3. Under Secretary(Administration), Department of Heavy Industry – Member	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Special Grade II)	3* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the pay matrix ₹ 25500–81100	Non-selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By promotion	**Promotion:** Staff Car Driver (Ordinary Grade) in level 2 in the pay matrix ₹ 19900-63200 with nine years' regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry – Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	3* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 2 in the pay matrix ₹ 19900–63200	Not applicable

(6)	(7)	(8)
Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	**Essential:** (i) possession of a valid driving license for driving motor cars; (ii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) experience of driving a motor car for three years; and (iv) pass in 10th standard from a recognised Board. **Desirable:** Three years' service as Home Guard or Civil Volunteer. **Note:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable

(9)	(10)
Two years	By deputation/ absorption, failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel: Deputation/ re-employment.

(11)
Deputation/absorption: From amongst regular Despatch Riders and Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix ₹18000-56900 in the Department of Industrial Policy and Promotion and its attached offices who possess valid driving license for driving motor cars on the basis of a driving test to assess their competence to drive motor cars failing which from the officials holding the post of Despatch Riders on regular basis or regular Group 'C' employees in level 1 in the pay matrix ₹18000-56900 in other Ministries or Departments of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). **Deputation/ re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1**: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2**: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
1. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:— (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry– - Member **2. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—** (1) Director/ Deputy Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Chairman (2) Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion – Member (3) Under Secretary (Administration), Department of Heavy Industry – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/1/2015-E.II]

SYED RAVISH ALI, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2018

सा.का.नि. 353.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (कनिष्ठ इंजीनियर), भर्ती नियम, 1977 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कनिष्ठ इंजीनियर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कनिष्ठ इंजीनियर, भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति .—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।